

परियोजना का नाम :- 126 km Long Broad Gauge Rail Link connecting Rishikesh - Kamprayee in the state of Uttarakhand

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम नगरासू
तहसील रुद्रप्रयाग, जिला रुद्रप्रयाग

उत्तराखण्ड में जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत 126 km परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.4769 हे० सिविल सोयम भूमि 0.00 हे० वन पंचायत भूमि 0.00 हे०) अर्थात् कुल 0.4769 वन भूमि का भारतीय रेल विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत नगरासू द्वारा दिनांक 25/7/20 के सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि व संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिका अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गै आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी व कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हे आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम नगरासू के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि भारतीय रेल प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-
ग्राम सचिव



नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1

दिनांक 27/07/2021 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत नगराक्ष

[illegible]